


F.1(22)/FWM/2021

जयपुर, दिनांक 29-08-2024

परिपत्र

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु SNA से प्रतिस्थापित नवीन प्रक्रिया-SNA SPARSH के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु संख्या 1 व 2 के सन्दर्भ में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 20.06.2024 के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि SNA SPARSH पर स्थानान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले bills/ claims/ invoices/ supporting documents के सही होने की जिम्मेदारी सम्बन्धित Implementing Agencies की है। अतः बिलों को Single Nodal Agency (SNA) के स्तर पर लम्बित नहीं रखा जाये।


उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

  
(देबाशीष पुरी)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल. लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/वित्तीय सलाहकार (SNA-SPARSH)।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, IFMS
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, स्टेट साईबर ट्रेजरी (स्कीम्स)।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
12. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. एल.आई.सी. भवन, जयपुर।

  
(पवन जैन)

संयुक्त शासन सचिव